पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 145/2021

1. सतवीर पुत्र गोपी जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा। :– **वादी**

ब ना म

1. बोगादेवी पत्नी गोपी जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बैरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 370/348 के खसरा सं0 292 की 3.9460है0 बारानी, खसरा सं0 576 की 5.0970है0 बारानी कुल 9.0430है0 बारानी खातेदारी वादी के पिता गोपी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें से गोपी का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सतवीर पुत्र गोपी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 145/2021

1. सतवीर पुत्र गोपी जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।

:— **वादी**

ब ना म

1. बोगादेवी पत्नी गोपी जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बैरवाल: **वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 31.3.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 370/348 के खसरा सं0 292 की 3.9460है0 बारानी, खसरा सं0 576 की 5.0970है0 बारानी कुल 9.0430है0 बारानी खातेदारी वादी के पिता गोपी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मंगतु की खातेदारी हुआ करती थी। मंगतु के बाद उक्त भूमि को वादी के पिता गोपी ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है । वादी के पिता गोपी की मृत्यु 22.07.2012 को हो गई थी। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी [illegible] की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कि[illegible] जाने [illegible] तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सतवीर पुत्र गोपी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाउ सवंत 2[illegible]–79 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र गोपी नायब तहसीलदार नाथूसरी चौपटा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र गोपी ग्राम पंचायत साहुवाला ।। प्रदर्श 3, शपथ पत्र मय मृत्यु व वारिसान गोपी प्रदर्श 4, मृत्यु प्रमाण पत्र गोपी प्रदर्श 5 तथा जमाबंदी विरासतन ग्राम साहुवाला ।। प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 22.07.2012 को हो गई है लेकिन उसके बाद भी वाद भूमि वादी के पिता गोपी के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिए उक्त वाद भूमि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाउ सवंत 2076–79 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र गोपी नायब तहसीलदार नाथूसरी चौपटा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र गोपी ग्राम पंचायत साहुवाला ।। प्रदर्श 3, शपथ पत्र मय मृत्यु व वारिसान गोपी प्रदर्श 4, मृत्यु प्रमाण पत्र गोपी प्रदर्श 5 तथा जमाबंदी विरासतन ग्राम साहुवाला ।। प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 से कृषि भूमि वादी के पिता के नाम से होना साबित है तथा प्रदर्श 2 व 3 से गोपी के जायज वारिसान में बोगादेवी पत्नी गोपी व सतवीर पुत्र गोपी व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रदर्श 4 के अनुसार वाद भूमि में गोपी के नाम दर्ज भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण जायज वारिसान है। प्रदर्श 5 व 6 के अनुसार गोपी की मृत्यु के बाद ग्राम साहुवाला ।। की कृषि भूमि में जरिये विरासतन नामांन्तरण वादी व प्रतिवादीगण का अपने हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वाद भूमि में वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 370/348 के खसरा सं0 292 की 3.9460है0 बारानी, खसरा सं0 576 की 5.0970है0 बारानी कुल 9.0430है0 बारानी खातेदारी वादी के पिता गोपी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें से गोपी का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सतवीर पुत्र गोपी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner